तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/9/25	... पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है ... ... साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 28/10/25 ह०
28/10/25	वकील प्रार्थी उप०/ TDR तालेडा से स्पष्ट रिपोर्ट पुनः लिखा जावे/ पत्रावली वास्ते इंतजार TDR दि. 24/11/25 को पेश हो/ ह०
24/11/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे ... रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डो... ...गवली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 4/12/25 ... ह०
4/12/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत ...गवली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 22/12/25 को पेश हो ह०
22/12/25	वकील प्रार्थी उप० TDR तालेडा से संशोधित रिपोर्ट अप्राप्त। पुनः लिखा जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजार TDR रिपोर्ट दि. 30/12/25 को पेश हो। ह०
30/12/25	वकील प्रार्थी उप०। बहस प्रा०पत्र सुनी गई। प्रा०पत्र प्रार्थीगण राज० भू-राजस्व अधि० 1956 की धारा 131 मे निहित प्रावधानो के अन्तर्गत पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा०मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। ह०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
178/प्रा0 पत्र/2024	16.05.2024	30.12.2025

भरत आयु 32 वर्ष पुत्र पृथ्वीराज व मिथलेश आयु 56 वर्ष पुत्री बलवीरसिंह जातियान जाट निवासी ग्राम बड़ून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी

प्रार्थी

बनाम

श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील तालेडा जिला बून्दी

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता प्रार्थी :- श्री रामरतन सुमन

अधिवक्ता अप्रार्थी :- पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 एल. आर. एक्ट

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल. आर. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बड़ून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी में भरत की खाता 230 खसरा संख्या 1195/620 रकबा 1.7806 है0 व मिथलेश की खाता संख्या 270 खसरा संख्या 1196 /620 रकबा 1.6187 है0 की खातेदारी अधिकारी भूमि स्थित है। प्रमाणस्वरूप जमाबंदी संवत 2080 प्रस्तुत की जा रही है। उक्त में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार में चली आ रही है जिस पर प्रार्थीगण काश्तकारी करते चले आ रहे है । अप्रार्थी व उसके अधीनस्त कर्मचारियों द्वारा कुछ समय पूर्व राजस्व रिकॉर्ड नक्शा कम्प्यूटरीकृत नक्शा तरमीम बनाये गये है। अप्रार्थी के राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीगण की प्रा0पत्र में वर्णित कृषि भूमि का पूर्व में नक्शा तरमीम किया गया था जो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त अनुसार नहीं करके गलत एवं त्रुटिपूर्ण ढंग से अन्यत्र जगह पर कर दिया गया है जिससे प्रार्थीगण को कृषि कार्य करने व राजस्व आदि देने व उक्त कृषि भूमि की लाभकारी योजनाओं का लाभ लेने में कहीं प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है जिससे प्रार्थीगण को मानसिक व आर्थिक क्षति हो रहीं है। प्रार्थीगण ने 05.04.2024 को अप्रार्थी के यहाँ जाकर प्रा0पत्र में वर्णित भूमि ख0नं0 1195/620 रकबा 1.7806 है0 व 1196/620 रकबा 1.6187 है0 का मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार नक्शा राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती करने हेतु कहा तो अप्रार्थी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में इन्द्राज दुरुस्ती नहीं की गई व मना कर दिया इसलिये वाद कारण दिनांक 05.04.2024 को उत्पन्न हुआ है जो लगातार जारी है। प्रार्थीगंण को यह अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि ख0नं0, 1195/620 रकबा 1.7806 है0 व 1196/620 रकबा 1.6187 है0 का मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार नक्शा में तरमीम करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती करवावें। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख0नं0 1195/620 रकबा 1.7806 है0 व 1196/620 रकबा 1.6187 है0 है वाके ग्राम बड़ून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी को नक्शा सहित राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती कर मौके पर कब्जे काश्त अनुसार अमल दराज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, खाता सं0 230 वाके ग्राम बड़ून्दा, भू–नक्शा खसरा सं0 1195/620, नकल जमाबन्दी खाता सं0 270 वाके ग्राम बड़ून्दा, भू–नक्शा खसरा सं0 1196/620 वाके ग्राम बड़ून्दा संवत् 2076 नक्शा ट्रेस वाके ग्राम बड़ून्दा नकल क्रमांक 158 व आधार कार्ड भरत चोधरी व मिथलेश का पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 3017 दिनांक 29.07.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि पटवार हल्का बड़ून्दा व भू0अ0नि0 वृत बाजड से प्राप्त संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बड़ून्दा की चालू जमाबन्दी में खाता सं0 66 खसरा संख्या 1138/620 रकबा 1.4811 है0 खातेदार सूरजबाई पत्नि दिनेश ब्राहाण नि0 सान्दडी, खाता स० 422 खसरा सख्या 1137/620 रकबा 14811 है0, खाता स० 230 खसरा संख्या 1195/620 रकबा 1.7806 है0 भरत पिता पृथ्वीराज जाति जाट नि0 बड़ून्दा व खाता सं0 270 खसरा संख्या 1196/620 रकबा 1.6187 है0 मिथलेश

बलवीर सिंह जाति जाट नि0 बड़ून्दा खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित प्रार्थीगण खातेदारान वर्तमान राजस्व [illegible]ा ग्राम बडुन्दा के ख0न0 1137/620, 1138 /620, 1195/620, 1196/620 जिनका खसरा नम्बर 620 है0 का मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नक्शा शुद्धि करवाना चाहते है। जिसका रिकार्ड अनुसार व मौका अनुसार नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित है। उपरोक्त चारो खसरा नं0 का कुल रकबा 6.3615 है0 है। वर्तमान राजस्व नक्शा अनुसार कुल रकबा 6.3615 है0 नही होकर कम बनता है। अतः ऐसी स्थिति में रिपोर्ट में वर्णित प्रस्तावित व मौका अनुसार राजस्व में आनुपातिक कमी की जाकर तरमीम शुद्धि किया जाना उचित होगा।

पेरोकार सरकार ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि मूल खसरा 620 ग्राम बड़ून्दा के खसरा नं0 1137/620, 1138/620, 1195/620 व 1196/620 में विभक्त है। प्रस्तावित नक्शा तरमीम में अन्य खाताधारकों के अधिकार प्रभावित होना स्वाभाविक है साथ ही यह भी स्पष्ट है कि विवाद का मूल कारण बन्दोबस्त नक्शे एवं रकबे की कथित त्रुटी से संबंधित है। जिसका सुधार धारा 131, 136 एलआर एक्ट के अन्तर्गत किया जाना विधि सम्मत नही है।
बहस उभयपक्ष सुनी गयीं। दोराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख0नं0 1195/620 रकबा 1.7806 है0 व 1196/620 रकबा 1.6187 है0 है वाके ग्राम बड़ून्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी को नक्शा सहित राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर मौके पर कब्जे काश्त अनुसार अमल दरामद किया जावे।

दोराने बहस पेरोकार सरकार ने जवाब प्रार्थना पत्र दोहराते हुये रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार रकबे में अनुपातिक कमी की जाकर तरमीम किये जाने के प्रावधान भू-प्रबंधन अधिनियम के तहत होने से उक्त तरमीम एवं रकबे की शुद्धि अन्तर्गत धारा 131 के निहित प्रावधानों के तहत निहित नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी रकबा पूर्ण नही होकर कम बनता है जिसे तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में आनुपातिक कमी कर तरमीम शुद्ध किये जाने का अंकन किया है। किसी भी काश्तकार की भूमि को आनुपातिक रूप से कम किया जाना भू-प्रबंध अधिनियम में निहित शक्तियों के अधीन होने से इस न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता। प्रार्थीगण की आराजी को आनुपातिक रूप से कम कर तरमीम दुरूस्त किया जाना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने से तरमीम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा